

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 313]

नवा रायपुर, गुरुवार, दिनांक 11 जून 2026 — ज्येष्ठ 21, शक 1948

समाज कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 10 जून 2026

संशोधित अधिसूचना

क्रमांक.GENCOR-35010/3127/2025-SW.— छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 (क्रमांक-23 सन् 2011) की धारा-3,4,5, एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा छ.ग. शासन समाज कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर की अधिसूचना दिनांक 17.06.2015 छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 अन्तर्गत सम्मिलित विभागीय योजनाओं के कॉलम-3 में सेवा जो प्रदाय की जानी है, के क्रमांक- 4 के पश्चात् निम्नानुसार, अतिरिक्त योजनाओं को अन्तः स्थापित करती हैं:-

क्र	कार्यालय/निकाय अभिकरण का नाम	छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है	सेवा प्रदाय करने की समय-सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम अधिकारी	अपीलीय अधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
1	जिला कार्यालय समाज कल्याण विभाग	दिव्यांगजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना	स्वीकृति एवं भुगतान 60 कार्य दिवस	संयुक्त सहायक संचालक, समाज कल्याण	/उप/कलेक्टर	संचालक समाज कल्याण संचालनालय
2	जिला कार्यालय समाज कल्याण विभाग	दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना	स्वीकृति एवं भुगतान 60 कार्य दिवस	संयुक्त सहायक संचालक, समाज कल्याण	/उप/कलेक्टर	संचालक समाज कल्याण संचालनालय

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शहला निगार, प्रमुख सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 10th June 2026

AMENDED NOTIFICATION

No. GENCOR-35010/3127/2025-SW.— In exercise of the powers conferred under Sections-3, 4, 5, and 7 of the Chhattisgarh Public Service Guarantee Act, 2011 (No. 23 of 2011), the State Government hereby includes the following additional schemes after Serial No. 4 in Column 3 of the departmental schemes notified under the Chhattisgarh Public Service Guarantee Act, 2011 vide notification dated 17.06.2015 of the Social Welfare Department, Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Naya Raipur.

S. No.	Name of Office/ Authority	Services to be Provided under Chhattisgarh Public Service Guarantee Act, 2011	Time Limit for Service Delivery (Working Days)	Designated Officer	Competent Officer	Appellate Officer
1	2	3	4	5	6	7
1	District Office, Social Welfare Department	Divyang Siksha Protsahan Yojna	Approval and payment within 60 working days	Joint/Deputy/ Assistant Director, Social Welfare	Collector	Director, Social Welfare Directorate
2	District Office, Social Welfare Department	Divyang Vivah Prothsahan Yojna	Approval and payment within 60 working days	Joint/Deputy/ Assistant Director, Social Welfare	Collector	Director, Social Welfare Directorate

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SHAHLA NIGAR, Principal Secretary.